न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/2**

दायर दिनांक :– 02.02.2024 **निर्णय दिनांक :– 27.03.2025**

1. अर्जुनराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. धनाराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागीरथराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. कमला पत्नी शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. शंकरलाल पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. राजू पुत्री रेशमाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. लाधूराम पुत्र मामराज जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. शारदा पत्नी फरसाराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. सुमित्रा पत्नी प्रदीपकुमार जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. मोहन पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्दसिंह सोलंकी अधिवक्ता अ. सं. 7 व 8

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 573/1 रकबा 9.1702 हैक्टेयर सरहद मौजा सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा व काश्त चल रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम सोनलपुरा में खसरा नम्बर 572 व 573 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम पूर्व में राजस्व अभिलेख जमाबंदी व भू– नक्शा में सामलाती दर्ज थी। उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने अपने कब्जा व काश्त अनुसार करवाया जिसका नजरी नक्षा उक्त बंटवाड़ा की पुश्त पर अंकित है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 572 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं बंटवाड़ा के नामान्तरकरण की पुश्त अनुसार कर दी परन्तु खसरा नम्बर 573 की तरमीम कब्जा काश्त व बंटवाड़

सहायक कलेक्टर 27/3/25

के नामान्तरकरण की पुश्त अनुसार नहीं कर अपनी मनमर्जी से खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित कर दी जबकि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण का मौको पर कब्जा व काश्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आज दिन तक लगातार चला आ रहा है और प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बंटवाड़ा की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। लेकिन पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एंव बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी की खातेदार भूमि खसरा नम्बर 573/1 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 573/2 रकबा 9.1621 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 573 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 573/3 रकबा 9.1621 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 573/4 रकबा 9.1621 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित कर दी। इसिलए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि के कब्जा काश्त के विपरित करी गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्राथी के कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मौजूद तरमीम अनुसार पुनः तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनाम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 573/1 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573/2 रकबा 9.1621 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573/3 रकबा 9.1621 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 573/4 रकबा 9.1621 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का राणेरी एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 573/1 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, ~~खसरा नम्बर 573/2~~ रकबा 9.1621 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573 रकबा 9.1702 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 573/3 रकबा 9.1621 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 573/4 रकबा 9.1621 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का राणेरी एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप